छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र.66 / संपदा / एफ–134 / 2023 नवा रायपुर दिनांक 27/01 / 2023

// आदेश //

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय / व्यवसायिक भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने संशोधन बाबत्।

——000——

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 72 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 28.12.2022 के एजेण्डा क्रमांक 10 पर पारित संकल्प कमांक 1982 / 10 / 72 / 12 / 2022 में संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, मण्डल की आवासीय भवन एवं व्यवसायिक भवन के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुर्नजीवित किये जाने के संबंध में मण्डल के आदेश क्रमांक 12, दिनांक 12.05.2022 को निरस्त करते हुए मण्डल परिपत्र क्रमांक 338 / 2015, दिनांक 05.06.2015 एवं परिपत्र क्रमांक 339 / 2015, दिनांक 05.06.2015 को बहाल करने का निर्णय लिया गया। उक्त परिपत्र के अनुसार आबंटित आवासीय भवन एवं व्यवसायिक भवन के आबंटन आदेश को पुर्नजीवित करने हेतु निम्नानुसार दण्ड भार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क. (आवासीय संपत्ति हेतु)

क्र.	संपत्ति का प्रकार	संपत्ति का मूल्य	दण्डभार राशि
1.	ई.डब्ल्यू.एस. भवन	–	रु. 5000 / –
2.	एल.आई.जी. भवन	–	रु. 10,000 / –
3.	एम.आई.जी. भवन	रु. 20.00 लाख मूल्य तक	रु. 40,000 / –
		रु. 20.00 लाख से अधिक	रु. 50,000 / –
		रु. 40.00 लाख मूल्य तक	रु. 80,000 / –
4.	एच.आई.जी. भवन	रु. 40.00 लाख से रु. 50.00 लाख मूल्य तक	रु. 1,00,000 / –
		रु. 50.00 लाख मूल्य से अधिक	रु. 1,50,000 / –
5.	अटल आवास भवन	रु. 1,00,000 / – एवं रु. 1,00,000 / – से अधिक	निशुल्क

आवासीय भू–खण्ड के लिये भी उपरोक्तानुसार दण्ड भार प्रभावशील होगा।

ख. (व्यवसायिक संपत्ति हेतु)

क्र.	संपत्ति का प्रकार	संपत्ति का मूल्य	दण्डभार राशि
1.	दुकान / हॉल	रु. 5.00 लाख मूल्य तक	रु. 10,000 / –
		रु. 5.00 लाख से ऊपर रु. 10.00 लाख मूल्य तक	रु. 30,000 / –
		रु. 10.00 लाख से ऊपर रु. 20.00 लाख मूल्य तक	रु. 60,000 / –
		रु. 20.00 लाख से अधिक रु. 40.00 लाख मूल्य तक	रु.1,00,000 / –
		रु. 40.00 लाख से अधिक रु. 50.00 लाख मूल्य तक	रु.1,50,000 / –
		रु. 50.00 लाख से अधिक	रु.2,00,000 / –

व्यवसायिक भू–खण्ड के लिये भी उपरोक्तानुसार दण्ड भार प्रभावशील होगा।

मण्डल के प्रकिया के अनुसार यदि आबंटी द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी किश्त की राशि जमा नही की जाती है, तो उनका आबंटन निरस्त कर उक्त भवन को रिक्त मानते हुए विकय हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। यदि निरस्तीकरण के एक वर्ष के भीतर उक्त भवन किसी अन्य को विकय नही किया गया है तथा पूर्व आबंटी द्वारा दण्ड भार सहित शेष राशि जमा करने के लिए आवेदन दिया जाता है, तो उनका भवन आबंटन निरस्तीकरण पुर्नजीवित किया जा सकेगा तथा अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया गया।

(मण्डल के आदेशानुसार)

27/11/23

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. 220 / संपदा / एफ–134 / 2023 नवा रायपुर, दिनॉक 27/01 /2023

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय / वृत्त–रायपुर / नवा रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–01,02,04, रायपुर / राजधानी परियोजना संभाग–01 नवा रायपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / कवर्धा / बिलासपुर / रायगढ़ / कोरबा / अंबिकापुर / कोण्डागांव / जगदलपुर / धमतरी / महासमुन्द / कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमशः–03

9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र–01,02,04 सेजबहार रायपुर/राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र–रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर /रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर